Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

पीड़ित व्यक्तियों के लिए अधिकारपत्र
Marsy का कानून

कैलिफ़ोर्निया संविधान, अनुच्छेद 1, भाग 28 के तहत, अपराध के शिकार बने लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैंः

1. **औचित्य और सम्मान**
   निजता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उचित और सम्मानपूर्ण बरताव किया जाए, और अपराध- या बाल-न्याय की समूची प्रक्रिया के दौरान वे किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, और दुर्व्यवहार से मुक्त हों।

2. **प्रतिवादी (मुद्दालेह) से सुरक्षा**
   प्रतिवादी और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले लोगों से उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए।

3. **ज़मानत और रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा का लिहाज़**
   प्रतिवादी के लिए ज़मानत की राशि तथा रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की सुरक्षा का लिहाज़ किया जाए।

4. **गोपनीय जानकारी का खुलासा करने पर रोक**
   प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी गोपनीय जानकारियों तथा अभिलेखों का खुलासा न किया जाए जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को खोजा या उत्पीड़ित किया जा सके, या जिनसे ऐसे गोपनीय संचारों का खुलासा हो जो चिकित्सकीय या सलाहकारी उपचार के दौरान किए गए थे या जो कानूनी तौर पर प्राधिकृत या गोपनीय माने गए हैं।

5. **प्रतिवादी पक्ष को साक्षात्कार देने से इंकार**
   प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को साक्षात्कार देने, शपथ लेकर बयान देने, या मुकद्दमे की कार्यवाही से पहले सूचना देने के अनुरोध को इंकार किया जा सकता है, और अगर पीड़ित व्यक्ति ने किसी ऐसे साक्षात्कार के लिए मंजूरी दी तो इसके संचालन पर यथोचित शर्तें लगाना संभव है।

6. **अभियोगपक्ष के साथ परामर्श तथा मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व किए गए निर्णय हेतु नोटिस**
   यदि अभियोगी को प्रतिवादी की गिरफ़्तारी की जानकारी है, तो अनुरोध करने पर, दायर किए गए आरोपों, प्रतिवादी को प्रत्यर्पित (एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने) किए जाने या न किए जाने के निर्धारण के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए और अभियोगी एजेन्सी के साथ विचार-विमर्श करने का यथोचित मौका दिया जाए, और, अनुरोध करने पर, मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व यदि मामले का अंतिम निर्णय किया गया तो ऐसा किए जाने से पहले इसके बारे में सूचना और नोटिस दी जाए।

7. **सार्वजनिक कार्यवाहियों के बारे में नोटिस और इनमें उपस्थिति**
   अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी सार्वजनिक कार्यवाहियों, जिनमें प्रतिवादी और अभियोगी को प्रस्तुत होने का अधिकार है, और सभी पैरोल या अन्य दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई कार्यवाहियों के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए, और ऐसी सभी कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकें।

8. **अदालत की कार्यवाहियों में पेशी और विचारों की अभिव्यक्ति**
   अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी कार्यवाहियों में सुनवाई का मौका दिया जाए, जहां गिरफ़्तारी-पश्चात रिहाई निर्णय, अभिवचन, दंडादेश, दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई निर्णय लिया जा रहा है, या कोई ऐसी कार्यवाही जहां पीड़ित व्यक्ति के किसी अधिकार का मामला सामने आया है।

Hindi

Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

पीड़ित व्यक्तियों के लिए अधिकारपत्र
Marsy का कानून

कैलिफ़ोर्निया संविधान, अनुच्छेद 1, भाग 28 के तहत, अपराध के शिकार बने लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैंः

1. **औचित्य और सम्मान**
   निजता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उचित और सम्मानपूर्ण बरताव किया जाए, और अपराध- या बाल-न्याय की समूची प्रक्रिया के दौरान वे किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, और दुर्व्यवहार से मुक्त हों।

2. **प्रतिवादी (मुद्दालेह) से सुरक्षा**
   प्रतिवादी और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले लोगों से उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए।

3. **ज़मानत और रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा का लिहाज़**
   प्रतिवादी के लिए ज़मानत की राशि तथा रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की सुरक्षा का लिहाज़ किया जाए।

4. **गोपनीय जानकारी का खुलासा करने पर रोक**
   प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी गोपनीय जानकारियों तथा अभिलेखों का खुलासा न किया जाए जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को खोजा या उत्पीड़ित किया जा सके, या जिनसे ऐसे गोपनीय संचारों का खुलासा हो जो चिकित्सकीय या सलाहकारी उपचार के दौरान किए गए थे या जो कानूनी तौर पर प्राधिकृत या गोपनीय माने गए हैं।

5. **प्रतिवादी पक्ष को साक्षात्कार देने से इंकार**
   प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को साक्षात्कार देने, शपथ लेकर बयान देने, या मुकद्दमे की कार्यवाही से पहले सूचना देने के अनुरोध को इंकार किया जा सकता है, और अगर पीड़ित व्यक्ति ने किसी ऐसे साक्षात्कार के लिए मंजूरी दी तो इसके संचालन पर यथोचित शर्तें लगाना संभव है।

6. **अभियोगपक्ष के साथ परामर्श तथा मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व किए गए निर्णय हेतु नोटिस**
   यदि अभियोगी को प्रतिवादी की गिरफ़्तारी की जानकारी है, तो अनुरोध करने पर, दायर किए गए आरोपों, प्रतिवादी को प्रत्यर्पित (एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने) किए जाने या न किए जाने के निर्धारण के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए और अभियोगी एजेन्सी के साथ विचार-विमर्श करने का यथोचित मौका दिया जाए, और, अनुरोध करने पर, मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व यदि मामले का अंतिम निर्णय किया गया तो ऐसा किए जाने से पहले इसके बारे में सूचना और नोटिस दी जाए।

7. **सार्वजनिक कार्यवाहियों के बारे में नोटिस और इनमें उपस्थिति**
   अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी सार्वजनिक कार्यवाहियों, जिनमें प्रतिवादी और अभियोगी को प्रस्तुत होने का अधिकार है, और सभी पैरोल या अन्य दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई कार्यवाहियों के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए, और ऐसी सभी कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकें।

8. **अदालत की कार्यवाहियों में पेशी और विचारों की अभिव्यक्ति**
   अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी कार्यवाहियों में सुनवाई का मौका दिया जाए, जहां गिरफ़्तारी-पश्चात रिहाई निर्णय, अभिवचन, दंडादेश, दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई निर्णय लिया जा रहा है, या कोई ऐसी कार्यवाही जहां पीड़ित व्यक्ति के किसी अधिकार का मामला सामने आया है।

Hindi

Kamala D. Harris
Attorney General
State of California

पीड़ित व्यक्तियों के लिए अधिकारपत्र
Marsy का कानून

कैलिफ़ोर्निया संविधान, अनुच्छेद 1, भाग 28 के तहत, अपराध के शिकार बने लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैंः

1. **औचित्य और सम्मान**
   निजता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ उचित और सम्मानपूर्ण बरताव किया जाए, और अपराध- या बाल-न्याय की समूची प्रक्रिया के दौरान वे किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, और दुर्व्यवहार से मुक्त हों।

2. **प्रतिवादी (मुद्दालेह) से सुरक्षा**
   प्रतिवादी और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले लोगों से उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए।

3. **ज़मानत और रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा का लिहाज़**
   प्रतिवादी के लिए ज़मानत की राशि तथा रिहाई की शर्तें तय करते समय पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की सुरक्षा का लिहाज़ किया जाए।

4. **गोपनीय जानकारी का खुलासा करने पर रोक**
   प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी गोपनीय जानकारियों तथा अभिलेखों का खुलासा न किया जाए जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को खोजा या उत्पीड़ित किया जा सके, या जिनसे ऐसे गोपनीय संचारों का खुलासा हो जो चिकित्सकीय या सलाहकारी उपचार के दौरान किए गए थे या जो कानूनी तौर पर प्राधिकृत या गोपनीय माने गए हैं।

5. **प्रतिवादी पक्ष को साक्षात्कार देने से इंकार**
   प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को साक्षात्कार देने, शपथ लेकर बयान देने, या मुकद्दमे की कार्यवाही से पहले सूचना देने के अनुरोध को इंकार किया जा सकता है, और अगर पीड़ित व्यक्ति ने किसी ऐसे साक्षात्कार के लिए मंजूरी दी तो इसके संचालन पर यथोचित शर्तें लगाना संभव है।

6. **अभियोगपक्ष के साथ परामर्श तथा मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व किए गए निर्णय हेतु नोटिस**
   यदि अभियोगी को प्रतिवादी की गिरफ़्तारी की जानकारी है, तो अनुरोध करने पर, दायर किए गए आरोपों, प्रतिवादी को प्रत्यर्पित (एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने) किए जाने या न किए जाने के निर्धारण के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए और अभियोगी एजेन्सी के साथ विचार-विमर्श करने का यथोचित मौका दिया जाए, और, अनुरोध करने पर, मुकद्दमा कार्यवाही से पूर्व यदि मामले का अंतिम निर्णय किया गया तो ऐसा किए जाने से पहले इसके बारे में सूचना और नोटिस दी जाए।

7. **सार्वजनिक कार्यवाहियों के बारे में नोटिस और इनमें उपस्थिति**
   अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी सार्वजनिक कार्यवाहियों, जिनमें प्रतिवादी और अभियोगी को प्रस्तुत होने का अधिकार है, और सभी पैरोल या अन्य दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई कार्यवाहियों के बारे में यथोचित नोटिस दी जाए, और ऐसी सभी कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकें।

8. **अदालत की कार्यवाहियों में पेशी और विचारों की अभिव्यक्ति**
   अनुरोध करने पर, अपचारिता कार्यवाहियों सहित उन सभी कार्यवाहियों में सुनवाई का मौका दिया जाए, जहां गिरफ़्तारी-पश्चात रिहाई निर्णय, अभिवचन, दंडादेश, दोषसिद्धि-पश्चात रिहाई निर्णय लिया जा रहा है, या कोई ऐसी कार्यवाही जहां पीड़ित व्यक्ति के किसी अधिकार का मामला सामने आया है।

Hindi

9. शीघ्र मुकद्दमा और मामले की सामयिक समाप्ति
मुकद्दमा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मामले को तथा निर्णय-पश्चात किन्हीं कार्यवाहियों को तेज़ी तथा अंतिम रूप से समाप्त किया जाए।

10. प्रोबेशन (परोक्षण) **विभाग को सूचना** देना
प्रोबेशन विभाग के किसी अधिकारी को सूचना दी जा सकती है जो दंडादेश से पहले पीड़ित व्यक्ति तथा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर अपचार के असर के बारे में पूछताछ करता है और जो प्रतिवादी को दंडादेश दिए जाने से पहले दंड के बारे में किसी प्रकार की सिफ़ारिश देता है।

11. दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति
प्रतिवादी को जब दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, तो उन हिस्सों को छोड़कर जो कानून के तहत गोपनीय माने गए हैं, यह रिपोर्ट अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सके।

12. दोषसिद्धि, दंडादेश , कैद, रिहाई, और पलायन के बारे में जानकारी
अनुरोध करने पर, प्रतिवादी की दोषसिद्धि, दंडादेश, कैद का स्थान और समय, या प्रतिवादी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, प्रतिवादी के रिहा होने की निर्धारित तारीख़, तथा हिरासत से रिहा होने या भाग निकलने के बारे में जानकारी दी जाए।

13. क्षतिपूर्ति का अधिकार

A. कैलिफ़ोर्निया राज्य के लोगों ने यह असंदिग्ध इरादा व्यक्त किया है कि अगर आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किन्हीं लोगों को नुकसान सहन करना पड़ा तो उन्हें उन व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है जिन्होंने उस नुकसान को उत्पन्न किया जो वह भुगत रहे हैं।

B. दोषसिद्ध अन्यायी को उस हर मामले में क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए जिसमें अपराध के शिकार ने नुकसान सहन किया हो, चाहे उसपर जो भी दंड या व्यवस्था लागू की जाए।

C. जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है, उससे जो वित्तीय भुगतान, रुपये-पैसे, और संपत्ति वसूली जाती है उसे सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति की आदेशित क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने की ओर लगाया जाए।

14. संपत्ति को **शीघ्र** लौटाए जाना
सबूत के तौर पर ज़रूरत खत्म हो जाने पर संपत्ति तुरंत वापस कर दी जाए।

15. पैरोल (**शर्त के अधीन** रिहाई) की कार्यवाहियों **और पैरोल** पर रिहा किए **जा**ने की नोटिस
पैरोल संबंधी सभी कार्यवाहियों के बारे में सूचना दी जाए, पैरोल प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, अपराधी को पैरोल पर रिहा करने से पहले पैरोल प्राधिकरण के विचार हेतु जानकारी दी जा सके, और अनुरोध करने पर, अपचारी की पैरोल या अन्य किसी रिहाई के बारे में सूचित किया जाए।

16. पैरोल पर रिहाई के फ़ैसले में **पीड़ित** व्यक्ति और **जनता** की सुरक्षा **पर ध्यान**
पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पैरोल पर या फ़ैसला-पश्चात रिहाई संबंधी कोई निर्णय लिया जाए।

17. इन **16 अधिकारों के** बारे में **जा**नकारी
अनुच्छेद (1) से लेकर (16) में बताए गए अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

Marsy के कानून के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, एटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर जाएं: *www.ag.ca.gov/victimservices*

सबसे नज़दीकी Victim Witness Assistance Center (पीड़ित व्यक्ति गवाह सहायता केन्द्र) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनसे संपर्क करें:

Attorney General's Victims' Services Unit
1-877-433-9069

Funding is made possible through the United States Department of Justice, Victims of Crime Act, 2010-VA-GX-0087.

9. शीघ्र मुकद्दमा और मामले की सामयिक समाप्ति
मुकद्दमा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मामले को तथा निर्णय-पश्चात किन्हीं कार्यवाहियों को तेज़ी तथा अंतिम रूप से समाप्त किया जाए।

10. प्रोबेशन (परोक्षण) **विभाग को सूचना** देना
प्रोबेशन विभाग के किसी अधिकारी को सूचना दी जा सकती है जो दंडादेश से पहले पीड़ित व्यक्ति तथा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर अपचार के असर के बारे में पूछताछ करता है और जो प्रतिवादी को दंडादेश दिए जाने से पहले दंड के बारे में किसी प्रकार की सिफ़ारिश देता है।

11. दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति
प्रतिवादी को जब दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, तो उन हिस्सों को छोड़कर जो कानून के तहत गोपनीय माने गए हैं, यह रिपोर्ट अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सके।

12. दोषसिद्धि, दंडादेश , कैद, रिहाई, और पलायन के बारे में जानकारी
अनुरोध करने पर, प्रतिवादी की दोषसिद्धि, दंडादेश, कैद का स्थान और समय, या प्रतिवादी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, प्रतिवादी के रिहा होने की निर्धारित तारीख़, तथा हिरासत से रिहा होने या भाग निकलने के बारे में जानकारी दी जाए।

13. क्षतिपूर्ति का अधिकार

A. कैलिफ़ोर्निया राज्य के लोगों ने यह असंदिग्ध इरादा व्यक्त किया है कि अगर आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किन्हीं लोगों को नुकसान सहन करना पड़ा तो उन्हें उन व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है जिन्होंने उस नुकसान को उत्पन्न किया जो वह भुगत रहे हैं।

B. दोषसिद्ध अन्यायी को उस हर मामले में क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए जिसमें अपराध के शिकार ने नुकसान सहन किया हो, चाहे उसपर जो भी दंड या व्यवस्था लागू की जाए।

C. जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है, उससे जो वित्तीय भुगतान, रुपये-पैसे, और संपत्ति वसूली जाती है उसे सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति की आदेशित क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने की ओर लगाया जाए।

14. संपत्ति को **शीघ्र** लौटाए जाना
सबूत के तौर पर ज़रूरत खत्म हो जाने पर संपत्ति तुरंत वापस कर दी जाए।

15. पैरोल (**शर्त के अधीन** रिहाई) की कार्यवाहियों **और पैरोल** पर रिहा किए **जा**ने की नोटिस
पैरोल संबंधी सभी कार्यवाहियों के बारे में सूचना दी जाए, पैरोल प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, अपराधी को पैरोल पर रिहा करने से पहले पैरोल प्राधिकरण के विचार हेतु जानकारी दी जा सके, और अनुरोध करने पर, अपचारी की पैरोल या अन्य किसी रिहाई के बारे में सूचित किया जाए।

16. पैरोल पर रिहाई के फ़ैसले में **पीड़ित** व्यक्ति और **जनता** की सुरक्षा **पर ध्यान**
पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पैरोल पर या फ़ैसला-पश्चात रिहाई संबंधी कोई निर्णय लिया जाए।

17. इन **16 अधिकारों के** बारे में **जा**नकारी
अनुच्छेद (1) से लेकर (16) में बताए गए अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

Marsy के कानून के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, एटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर जाएं: *www.ag.ca.gov/victimservices*

सबसे नज़दीकी Victim Witness Assistance Center (पीड़ित व्यक्ति गवाह सहायता केन्द्र) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनसे संपर्क करें:

Attorney General's Victims' Services Unit
1-877-433-9069

Funding is made possible through the United States Department of Justice, Victims of Crime Act, 2010-VA-GX-0087.

9. शीघ्र मुकद्दमा और मामले की सामयिक समाप्ति
मुकद्दमा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और मामले को तथा निर्णय-पश्चात किन्हीं कार्यवाहियों को तेज़ी तथा अंतिम रूप से समाप्त किया जाए।

10. प्रोबेशन (परोक्षण) **विभाग को सूचना** देना
प्रोबेशन विभाग के किसी अधिकारी को सूचना दी जा सकती है जो दंडादेश से पहले पीड़ित व्यक्ति तथा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर अपचार के असर के बारे में पूछताछ करता है और जो प्रतिवादी को दंडादेश दिए जाने से पहले दंड के बारे में किसी प्रकार की सिफ़ारिश देता है।

11. दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट की प्राप्ति
प्रतिवादी को जब दंडादेश-पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, तो उन हिस्सों को छोड़कर जो कानून के तहत गोपनीय माने गए हैं, यह रिपोर्ट अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सके।

12. दोषसिद्धि, दंडादेश , कैद, रिहाई, और पलायन के बारे में जानकारी
अनुरोध करने पर, प्रतिवादी की दोषसिद्धि, दंडादेश, कैद का स्थान और समय, या प्रतिवादी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, प्रतिवादी के रिहा होने की निर्धारित तारीख़, तथा हिरासत से रिहा होने या भाग निकलने के बारे में जानकारी दी जाए।

13. क्षतिपूर्ति का अधिकार

A. कैलिफ़ोर्निया राज्य के लोगों ने यह असंदिग्ध इरादा व्यक्त किया है कि अगर आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किन्हीं लोगों को नुकसान सहन करना पड़ा तो उन्हें उन व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है जिन्होंने उस नुकसान को उत्पन्न किया जो वह भुगत रहे हैं।

B. दोषसिद्ध अन्यायी को उस हर मामले में क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए जिसमें अपराध के शिकार ने नुकसान सहन किया हो, चाहे उसपर जो भी दंड या व्यवस्था लागू की जाए।

C. जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है, उससे जो वित्तीय भुगतान, रुपये-पैसे, और संपत्ति वसूली जाती है उसे सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति की आदेशित क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने की ओर लगाया जाए।

14. संपत्ति को **शीघ्र** लौटाए जाना
सबूत के तौर पर ज़रूरत खत्म हो जाने पर संपत्ति तुरंत वापस कर दी जाए।

15. पैरोल (**शर्त के अधीन** रिहाई) की कार्यवाहियों **और पैरोल** पर रिहा किए **जा**ने की नोटिस
पैरोल संबंधी सभी कार्यवाहियों के बारे में सूचना दी जाए, पैरोल प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, अपराधी को पैरोल पर रिहा करने से पहले पैरोल प्राधिकरण के विचार हेतु जानकारी दी जा सके, और अनुरोध करने पर, अपचारी की पैरोल या अन्य किसी रिहाई के बारे में सूचित किया जाए।

16. पैरोल पर रिहाई के फ़ैसले में **पीड़ित** व्यक्ति और **जनता** की सुरक्षा **पर ध्यान**
पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पैरोल पर या फ़ैसला-पश्चात रिहाई संबंधी कोई निर्णय लिया जाए।

17. इन **16 अधिकारों के** बारे में **जा**नकारी
अनुच्छेद (1) से लेकर (16) में बताए गए अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

Marsy के कानून के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, एटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पर जाएं: *www.ag.ca.gov/victimservices*

सबसे नज़दीकी Victim Witness Assistance Center (पीड़ित व्यक्ति गवाह सहायता केन्द्र) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनसे संपर्क करें:

Attorney General's Victims' Services Unit
1-877-433-9069

Funding is made possible through the United States Department of Justice, Victims of Crime Act, 2010-VA-GX-0087.